संक्षेप शब्दों की सूची

1. भा. द.स. – भारतीय दंड संहिता
2. एस.सी. सुप्रीम कोर्ट
3. ए.आई.आर – ऑल इंडिया रिपोर्टर
4. ब. – बनाम
5. द. प्र .स. – दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
6. एस.सी.सी. – सुप्रीम कोर्ट केसेज
7. म.प्र. –मध्यप्रदेश
8. एच. आई आर. – ऑल इंडिया रिपोर्ट
9. कल – कलकत्ता
10. सी.आर.एल. – क्रिमीनल अपील
11. आई.पी.सी. – इंडियन पीनल कोड
12. राज. – राजस्थान
13. एच.सी. – हाईकोर्ट
14. प.– पंजाब
15. सी. आर. एल. जे. – क्रिमीनल लॉ जनरल

प्राधिकारी की सूची

कानून

1. भारतीय दंड संहिता – 1860
2. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
4. मुस्लिम विधि
5. मुस्लिम विवाह विधि
6. हिन्दु विवाह विधि 1955

न्यायिक निर्णय

1. के एम नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य,
   (ए.आई.आर. 1962)
2. प्रहलाद दास बनाम मध्य प्रदेश राज्य
   ( )
3. संजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य
   (ए.आई.आर. 2002)
4. गौरव नागपाल बनाम सुमेदा नागपाल
   (ए.आई.आर. 2009 ए.पी.)
5. राजनाथ बनाम रविराज डूडेजा
   (ए.आई.आर. 2006 प. एवं एच.)
6. सुहराबी बनाम डी. मोहम्मद
   (ए.आई.आर. 1988)
7. ईमाम बांदी बनाम मुतसदे
   (1918)
8. उतरप्रेश राज्य बनाम लक्ष्मी
   (एस.सी.सी, 1998)
9. महेन्द्र सिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य
   (एस.सी.सी., 1995)

10. जग्गनाथ मंडल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
(सी.आर.एल.जे. 1945)
11. उतर प्रदेश राज्य बनाम सतीश
(ए.आई.आर. 2008)
12. चैतू और अन्य बनाम यूपी राज्य
(एस.सी. 2014)
13. महमूद बनाम राज्य
(ए.आई.आर. 1961)
14. रशीया पटेल बनाम यूसूफ
(2009 केरला हाई कोर्ट)
15. अतर हुसैन बनाम सैयद सिराज अहमद
(एस.सी.सी., 2010)

किताबें

1. रतनलाल तथा धीरज लाल, भारतीय दंड संहिता
2. डॉ. रेगा सूर्य राव, व्याख्यान दंड विधि
3. मुल्ला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973
4. के.डी. गौड, भारतीय दण्ड विधान का टीका
5. रतनलाल तथा धीरजलाल, भारतीय साक्ष्य विधि
6. हिमांशु बांगिया, अपराध कानुन संहिता
7. डॉ. अवतार सिंह, साक्ष्य विधि
8. गौर, के.डी. क्रिमिनल लॉ, केसेज एवं मेटेरियल
9. मुस्लिम विधि अकील अहमद
10. मुस्लिम विधि मुल्ला
11. भारतीय दंड संहिता प्रोफेसर भट्टाचार्य
12. भारतीय दंड संहिता डॉ. एस.एस. दास

13. भारतीय दंड संहिता के.डी. गौर

14. चेटली एंड राऊ, भारतीय दंड संहिता

15. गौर हरि, सिंह भारतीय दंड संहिता

शब्द कोष

1. ब्लेक लॉ शब्दकोष

2. मैरियम वेवस्ट, लीगल हिक्शनरी

वेबसाईट

1. www.manupatra.com

2. www.supremecourt of india.com

3. www.scconline.in

4. www. indiakanoon.or

5. www.westlawindia. com

6. www.jusdis.nic.omj

7. www.lexisnexis.com

8. www.legalserviceindia.com

तथ्य विलेख

वाद बिंदु की कहानी आर्यगढ नामक शहर पर केन्द्रित है। श्री हरीश चंद्र शहर के नामी एवं रसूखदार जमींदार है जो कि न केवल सबसे बडे कारखाने के मालिक हैं अपितु हिन्दु राजनैतिक संगठन राष्ट्रीय रक्षा दल के कद्दावर नेता भी है । उनकी दो संतान हैं जिनका नाम रूपा और कुबेर है।

श्री अखलाख–उल–रज्जाक उक्त वर्णित कारखाने के अधीक्षक एवं श्रमिक संघ के प्रमुख नेता है जो कुरैशी परिवार से ताल्लुक रखते हैं और मुसलमान है। आर्यगढ एक मुस्लिम बाहुल्य शहर है जिसकी कमान कुरैशी समुदाय के हाथों में है। कुरैशी परिवार की एक सशक्त पृष्ठभूमि एवं राजनैतिक वर्चस्व तारा–ए–हिन्द नामक राजनैतिक संघठन में है। अखलाख–उल– रज्जासक की दो पत्नियां थी, जिसमें पहली शादी से अशफाक और दूसरी शादी से गुल–हैदर और पुत्री खदीजा संतान के रूप में प्राप्त हुई।

अशफाक और रूपा एक दुसरे से प्रेम करते थे और जब इस बात की सूचना रूपा के पिता हरीश चंद्र को हुई तो वह आग बबूला हो गए। इसी क्षणिक क्रोध की ज्वाला में उन्होने अखलाख–उल–रज्जाक को काम से निष्कासित कर दिया जिसका कारण उन्होंने व्यक्तिगत रखा। अखलाख–उल–रज्जाक न सिर्फ एक मुस्लिम चेहरा था अपितु श्रमिक संघ का प्रमुख नेता भी था जिसके परिणाम स्वरूप बाकि मुस्लिम कर्मी भी कारखाने से काम छोड कर जाने लगे। शहर के बाहर किराये पे जमीन लेकर वह सब साथ मिलकर सहकारी कृषि करने लगे।

अखलाख–उल–रज्जाक को काम से निकालने के उपरांत हरीश चंद्र ने उनके पुत्र गुल हैदर की रमिक संघ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और नए कर्मियों की भर्ती हेतु और उनकी लुभाने के लिए 33 प्रतिशत की दर पे वेतन बढोतरी की घोषणा की । इससे हुआ ये कि वो जो मुस्लिम कर्मी समाज संगठित था वो अब दो भागों में बंट गया था जिसमें से एक अखलाख–उल–रज्जाक के साथ और दूसरा गुल हैदर से जुड गया था। गुल हैदर तारा–ए–हिन्द का एक उभरता हुआ भावी युवा नेता था जिसकी बहुत जल्द दल के हाईकमान की जिम्मेदारी मिलने वाली थी। गुल हैदर की बढती लोकप्रियता को देखकर हरीश चंद्र को लगा यदि उसकी पुत्री रूपा का विवाह गुल हैदर से होता है तो उसकी पकड मुस्लिम समाज में बढ जाएगी जो उसके लिए हितकारी होगा। इसलिए हरीश चद्र ने उनकी शादी करवा दी और उन सबसे अलग कुबेर और खदीजा ने भी शादी कर ली। रूपा जिसको रिहाना कहा जाने लगा और लगभग एक साल के अंतराल के बाद गुल हैदर और रिहाना के पुत्र का जनम हुआ जिसका नाम कबीर था। कबरी का जनम ओर उसकी परवरिश पूरी तरह हिन्दू घरबार और हिन्दू मुल्यों के बीच हुई।

गुल हैदर तारा–ए–हिन्द का एक प्रमुख चेहरा था जिसके कारण उसको चुनाव प्रचार एवं अन्य दल संबंधि कामों के लिए यात्रा करनी पडती थी। अशफाक और रिहाना के बीच अवैध प्रेम संबंध विवाह के उपरांत भी जारी था। एक दिन जब गुल हैदर चुनावी यात्र से लौटकर आया तो उसकी बहन खदीजा ने चुगली करने के इरादे से उसकी, हिना और अशफाक के बीच अवैध प्रेम संबंध की जानकारी दी। यह सुनकर उसके एक चाकु उठाया और उस बाग में गया जहां अशफाक और रिहाना बैठे थे जाकर अखफाक से जुवानी तू तू मैं में करने लगा। देखते ही देखते ये जुबानी जंग शारीरिक हाथापाई में तब्दील हो गयी जिसमें क्रोध से तिलमिलाए गुल हैदर ने अशफाक में चाकू भौंक दिया। ऐस देखकर रिहाना ने गुल हैदर की बद्दुआएं दी ओर आश्चर्य से कहने लगी ऐसा निमर्म कृत्य कोई कैसे अपने भाई के साथ कर सकता है। गुस्से में चूर गुल हेदर ने अपनी पत्नी रिहाना को भी चाकू भोंक दिया।

उन दोनो की लहूलुहान अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां अशफाक ने पहुंचते ही दम तोड दिया और रिहाना का बहुत अधिक खुन बह चुका था। गुल हेदर की अशफाक के जूर्म में दोषी करार कर कारावास भेज दिया गया।

अंग प्रत्यारोपण सर्जरी की विफलता और विभिन्न चोटों के कारण रिहाना भी जिन्दगी की जंग हार कर मर गयी। खदीजा और कुबेर पर अशफाक और रिहाना की हत्या की बढावा देने के लिए मुकदमा चलाया गया।

क्षेत्राधिकार का कथन

अभियुक्त जिला सत्र न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 177 एवम 178 के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 177 के अनुसार –

पूछताछ और परीक्षण की साधारण जगह सामान्य तौर पर अपराध की जॉच उस न्यायालय में की जाती है जिस न्यायालय के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराध घटित हुआ है।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 178 के अनुसार –

(क) जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रें में से किसमं अपराध किया गया है।

अथवा

(ख) जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे में किया गया है।

अथवा

(ग) जहां अपराध चालू रहने वाला है और उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों मं चालु रहता है।

अथवा

(घ) जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किये गये कई कार्यों से मिलकर बनता है जहां उसकी जांच या विचारण ऐसी स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

यह धारा विभिन्न क्षेत्राधिकारों के बीच मतभेद एवं न्यायाधीश के विशेषाधिकारों के विषय में संशय होने पर उपजी समस्या का समाधान करता है।

यह सभी सविनय अभिवादन के साथ न्यायालय के समक्ष निवेदित है।

मुद्दा

प्रश्न 1. कबीर का संरक्षक कौन होगा : हरीश चंद्र या अखलाख–उल–रज्जाक ?

प्रश्न 2. क्या खदीजा और कुबेर पर हत्या को बढावा देने का इल्जाम उचित है? हां और ना दोनो परिस्थितियों में जैसा आप सोचते हैं तर्क देकर सिद्ध करें।

प्रश्न 3. यद्यपि कुल हैदर हत्या का दोषी है, पर क्या आकस्मिक भावावेश में आकर उसके द्वारा की गई दोनों हत्याएं एक ढाल है उसके जुर्म के लिए। हां या ना दोनो परिस्थितियों में जैसा आपको लगता है तर्क देकर स्पष्ट करें।

तर्को का सार

प्रश्न 1. **कबीर का संरक्षक कौन होगा : हरीश चंदू या अखलाख–उल–रज्जाक ?**

कबीर का संरक्षक अखलाख–उल–रज्जाक को होना चाहिए। क्योंकि तथ्य विलेख से स्पष्ट है कि श्री हरीश चंदू शहर के नामी एवं रसूखदार जमींदार है जो आर्यगढ शहर के सबसे बडे कारखाने के मालिक हैं और हिंदू राजनैतिक संघठन, राष्ट्रीय रक्षा दल के कद्दावर नेता भी है। इस वजह से उनके पास कबीर के साथ बिताने के लिए वक्त नहीं होगा और वो कबीर का सही से पालन–पोषण नहीं कर पाएगें।

अजलाज–उल–रज्जाक को संरक्षक नियुक्त करने में ही कबीर का कल्याण है।

श्रीमती इम्तियाज बानो बनाम मसूद अहमद जाफरी (ए.आई.1979 इला. 125) के वाद में निर्णय की मुख्य आधार अवयस्क बच्चों का कल्याण था।

इमान बांदी बनाम मुतसदी (1918, 45 आई.ए. 73) के वाद में यह निर्णय किया गया कि ''पिता ही या यदि व न हो तो उसका निष्पादक (Executor) ही कानूनी संरक्षक होता है।''

अतहर हुसैन बनाम सैयद सिराज अहमद

([2010] 2 MLJ 967)

वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक संरक्षक नियुक्त को लेकर कार्यवाही चल रही है तब तक उसके वर्तमान संरक्षकता में दखलअंदाजी न हो। जब तक की ये साबित न कर दे कि वर्तमान संरक्षक बच्चे के कल्याण के लिए सही नहीं है। अभियुक्त पक्ष ये साबित नहीं कर सके कि कबीर के वर्तमान संरक्षक उसके कल्याण के लिए सही नहीं है इसलिए अजलाज–उल–रज्जाक को ही उसका संरक्षक नियुक्त किया जाए।

कबीर का संरक्षण नियुक्त करने से पहले उसका धर्म भी देखना चाहिए। तथ्य अभिलेख से स्पष्ट है कि कबीर मुस्लिम है मुस्लिम विधि के अनुसार हिजानत का अधिकार पिता को होता है और पिता की अनुपस्थिति में यह अधिकार पिता के पिता को होता है।

प्रश्न 2. क्या खदीजा और कुबेर पर हत्या को बढावा देने का इल्जाम उचित है? हां और ना दोनों परिथियों में जैसा आप सोचते हैं तर्क देकर सिद्ध करें?

– खदीजा और कुबेर पर हत्या को बढावा देने का इल्जाम उचित नहही है क्योंकि गुल हैदर ने अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने की वह प्रकोपन दियाथा, मृत्युकारित की है।

प्रश्न 3– यद्यपि गुल हैदर हत्या का दोषी है, पर कय आकस्मिक भावावेश में आकर उसके द्वारा क गई दोनों हत्याएं एक ढाल है उसके जूर्म के लिए। हां या ना दोनो परिस्थितियों में जैसा आपको लगता है तर्क देकर स्पष्ट करें?

– हॉ गुल हैदर द्वारा आकस्मिक भावावेश में आकर की गई हत्याएं एक ढाल है। क्योंकि अचानक उकसावे के तहत की गई गतिविधियॉं ओर उकसावे के कारण गुल हैदर अपना नियंत्रण ,खो देता है जिससे रिहाना और अखफाक की हत्या हो गई इसलिए गुल हैदर हत्या के लिए उत्तरदायी नहीं होगा बल्कि केवल दोषी होगा।

उकसावे के तहत हुई हत्या धारा 300 का अपवाद है।

लिखित तर्क

प्रश्न 1. **कबीर का संरक्षक कौन होगा : हरीश चंदू या अखलाख–उल–रज्जाक ?**

कबीर का संरक्षक अखलाख–उल–रज्जाक को होना चाहिए। क्योंकि तथ्य विलेख से स्पष्ट है कि श्री हरीश चंदी राहर के नामी एवं रसूखदार जमींदार है जो आर्यगढ शहर के सबसे बडे कारखाने के मालिक है और हिंदु राजनैतिक, संगठन, राष्ट्रीय रक्षा दल के कद्दावर नेता भी है। इस वजह से उनके पास कबीर के साथ बिताने के लिए वक्त नहीं होगा और न ही वो कबीर को समय दे पाएंगे और वो कबीर का सही से पालन–पोषण नहीं कर पाएगें।

अखलाख–उल–रज्जाक को संरक्षक नियुक्त करने में ही कबीर का कल्याण है।

श्रीमती इम्तियाज बानो बनाम मसूद अहमद जाफरी (ए. आई. आर. 1979 इला. 125) के वाद में निर्णय का मुख्य आधार अवयस्क बच्चों का कल्याण था।

इमाम बांदी बनाम मुतसद्धी (1918, 45 आई. ए. 73) के वाद में यह निर्णय किया गया कि ''पिता ही या यदि व न हो तो उसका निष्पादक ही कानूनी संरक्षक होगा।

अतहर हुसैन बनाम सैयद सिराज अहमद [(2010) 2 MLJ 967] वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब तक संरक्षक नियुक्ति कि कार्यवाही चल रही है तब तक वर्तमान संरक्षक के साथ दखलअंदाजी न हो ओर जब तक ये साबित न हो जाए कि वर्तमान संरक्षक बच्चे के कल्याण के लिए सही नही है।

दूसरे पुरूष संबंधी – मॉ और दूसरे स्त्री संबंधियों के होने पर हिजानत क्रम से नीचे दिए गए लोगों की हो जाती है–

(1) पिता

(2) निकटतम पैत्क पितामाह

(3) सगा भाई

(4) सगोत्री भाई

(5) सगे भाई का लडका

(6) सगोत्री भाई का लडका

(7) पिता का सगा भाई

(8) पिता का सगोत्री भाई

(9) पिता के सगे भाई का लडका

(10) पिता के सगोत्री भाई का लडका

इसलिए न्यायालय को कबीर का संरक्षक अखलाख–उल–रज्जाक को नियुक्त करना चाहिए।

कबीर का संरक्षण नियुक्त करने से पहले उसका धर्म भी देखना चाहिए। तथ्य अभिलेख से स्पष्ट है कि कबीर मुस्लिम है मुस्लिम विधि के अनुसार हिजानत का अधिकार पिता को होता है और पिता की अनुपस्थिति में यह अधिकार पिता के पिता को होता है।

संविधान का अनुच्छेंद 25 के अनुसार हर व्यक्ति को अपने धर्म के पालन की आजादी है। यह तभी संभव है। जब अखलाख उल रज्जाक को उसका संरक्षक नियुक्त किया जाए।

पिता के किसी प्रकरण में दोषी या पक्षकार होने से कबीर का संवैधानिक अधिकार ना छिना जाए।

प्रश्न 2 क्या खदीजा और कुबेर पर हत्या को बढावा देने का इल्जाम उचित है? हॉ और ना दोनों ही परिस्थितियों में जेसा आप सोचते हैं तर्क देकर सिद्ध करें।

– खदीजा और कुबेर पर हत्या को बढावा देने का इल्जाम उचित नहीं है क्योंकि गुल हैदर ने आकस्मिक भावावेश में आकर अशफाक और रिहाना की हत्या कर दी।

– गुल हैदर को जब पता चला कि उसकी पत्नि रिहाना और उसके भाई अशफाक का अवैध संबंध है तो वह आग बबुला हो गया और जब वह बाग में पहुंचा तब अशफाक से जूबानी तु तु में में होने लगी और वो शारीरिक हाथापाई में तब्दील हो गई। गुल हैदर अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित होकर रिहाना और अशफाक की हत्या कर देता है।

आकस्मिक प्रकोपन के तत्व –

गंभीर और अचानक प्रकोपन के लिए निम्न तथ्यों का होना जरूरी है।

1. आरोपी को उकसाया गया।
2. प्रकोपन– (क) गंभीर था (ख) अचानक था
3. वह आत्म संयम की शक्ति से वंचित था।
4. वह आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो गया और इससे पहले कि वह शांत हो पाता, उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिसके कारण उसे अचानक प्रकोपन मिला।

जहां गंभीर और अचानक प्रकोपन का सवाल हो वहां तथ्य के आधारपर देखा जाए कि वह प्रकोपन हत्या के लिए काफी था या नहीं।

एक सामान्य व्यक्ति कुछ परिस्थितियों मे क्या करेगा, वह उस समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनामक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है जिससे वह संबंधित है।

न्यायालय की सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर विचार करना चाहिए।

गंभीर प्रकोपन में यदि व्यक्ति अपने आत्म नियंत्रण की शक्ति से वंचित होकर किसी की हत्या कर दे।

तथ्य विलेख से स्पष्ट है कि गुल हैदर तारा–ए–हिन्द नामक राजनैतिक संगठन का उभरता हुआ नेता था और अच्छे घर एवं समाज से ताल्लुकात रखता था जब उसको अपनी पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में पता चला तो वो अपने आत्म नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो जाता है ओर रिहाना और अशफाक की हत्या कर देता हैं।

अचानक प्रकोपन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 का अपवाद है।

धारा 300

अपवाद 1. आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है–

आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जब कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्युकारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करें।

ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परंतुकों के अध्यधीन है–

पहला – यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानी करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में इप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो।

दूसरा – यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो कि विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्व में की गई हो।

तीसरा– यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

स्पष्टीकरण– प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध की हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है।

तथ्य से स्पष्ट है कि गुल हेदर ने जब अशफाक और रिहाना की बाग में देखा और उनके साथ तू–तू में में हुई उसमें अशफाक या रिहाना ने कुछ ऐसा कह दिया होगा जिससे गुल हैदर प्रकोपन की आत्म संयम की शक्ति खो देता है और दोनो की हत्या कर देता है।

खदीजा और कूबेर ने हत्या को बढावा नहीं दिया। खदीजा ने केवल अवेध संबंधों की जानकारी दी।

1. राजेन्द्र बनाम तहमलनाडु राज्य (2012 मद्रास एच.सी.)

न्यायालय ने इस वाद में कहा कि दुस्प्रेरण या उकसाने के कोई भी सबूत नहीं मिले है। ऐसी कोई बात और तथ्य नहीं मिले जिससे लगे की उनहोंने हत्या को बढावा दिया है।

तथ्य लिखे के अनुसार खदीजा और कुबेर के खिलाफ ऐसे कोई तथ्य नहीं है जो वे साबित कर सके की उन्होनें हत्या को बढावा दिया है।

तथ्य विलेख के अनुसार खदीजा और कुबेर के खिलाफ ऐसे कोई तथ्य नहीं है जो वे साबित कर सके की उन्होंने हत्या को बढावा दिया है।

2. जमुना सिंह बनाम बिहार राज्य (एच.सी.सी.– 1966)

न्यायालय ने इस वाद में कहा कि जब तक गुनाह के तयि साबित ना हो जावे तब तक अभियुक्त पर कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सकता।

3. साजू बनाम केरल राज्य (एस.सी.सी. 2000)

न्यायालय ने इस वाद में कहा अभियोग अभियुक्त पर लगाये गए साजिश के आरोपों को सिद्ध नहीं कर सके।

आकस्मिक प्रकोपन के तत्व –

गंभीर और अचानक प्रकोपन के लिए निम्न तथ्यों का होना जरूरी है।

1. आरोपी को उकसाया गया।
2. प्रकोपन– (क) गंभीर था (ख) अचानक था
3. वह आत्म संयम की शक्ति से वंचित था।
4. वह आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो गया और इससे पहले कि वह शांत हो पाता, उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिसके कारण उसे अचानक प्रकोपन मिला।

जहां गंभीर और अचानक प्रकोपन का सवाल हो वहां तथ्य के आधारपर देखा जाए कि वह प्रकोपन हत्या के लिए काफी था या नहीं।

एक सामान्य व्यक्ति कुछ परिस्थितियों मे क्या करेगा, वह उस समाज की सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनामक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है जिससे वह संबंधित है।

न्यायालय की सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर विचार करना चाहिए।

गंभीर प्रकोपन में यदि व्यक्ति अपने आत्म नियंत्रण की शक्ति से वंचित होकर किसी की हत्या कर दे।

तथ्य विलेख से स्पष्ट है कि गुल हैदर तारा–ए–हिन्द नामक राजनैतिक संगठन का उभरता हुआ नेता था और अच्छे घर एवं समाज से ताल्लुकात रखता था जब उसको अपनी पत्नी के

अवैध संबंधों के बारे में पता चला तो वो अपने आत्म नियंत्रण की शक्ति से वंचित हो जाता है ओर रिहाना और अशफाक की हत्या कर देता हैं।

अचानक प्रकोपन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 का अपवाद है।

धारा 300

अपवाद 1. आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है–

आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जब कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो उस व्यक्ति की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्युकारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करें।

ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परंतुकों के अध्यधीन है–

पहला – यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानी करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में इप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो।

दूसरा – यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो कि विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्व में की गई हो।

तीसरा– यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

स्पष्टीकरण– प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध की हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है।

तथ्य से स्पष्ट है कि गुल हेदर ने जब अशफाक और रिहाना की बाग में देखा और उनके साथ तू–तू में में हुई उसमें अशफाक या रिहाना ने कुछ ऐसा कह दिया होगा जिससे गुल हैदर प्रकोपन की आत्म संयम की शक्ति खो देता है और दोनो की हत्या कर देता है।

खदीजा और कूबेर ने हत्या को बढावा नहीं दिया। खदीजा ने केवल अवेध संबंधों की जानकारी दी।

तथ्य विलेख से स्पष्ट है कि खदीजा के पति कुबेर के बारे में कुछ भी ऐसा नही कहा गया। जिससे स्पष्ट हो कि कुबेर ने हत्या को बढावा दिया है।

प्रश्न 3 यद्यपि गुल हेदर हत्या का दोषी है, पर क्या आकस्मिक भावावेश में आकर उसके द्वारा की गई दोनों हत्याएं एक ढाल है उसके जुर्म के लिए हां या ना दोनों परिस्थितियों में जेसा आपको लगता है तर्क देकर स्पष्ट करें।

हां गुल हैदर द्वारा आकस्मिक भावावेश में आकर की गई हत्याएं एक ढाल है । क्योंकि अचानक उकसावे के तहत की गई गतिविधियां और उकसावे के कारण गुल हैदर अपना नियंत्रण खो देता है। जिससे रिहाना और अशफाक की हत्या की गई इसलिए गुल हैदर हत्या के लिए दोषी नहीं होगा। गुल हैदर केवल आपराधिक मानव वध का दोषी होगा।

अचानक प्रकोपन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 की अपवाद है।

<u>धारा 300</u>

अपवाद (1) – अपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है। अपश्राधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जब कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था मृत्युकारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करें।

तथ्य विलेख से स्पष्ट है कि गुल हैदर ने जब रिहाना और अशफाक के अवैाध संबंध के बारे में सुना तो आपराधिक मनः स्थिति के साथ चाकु उठाया और उस बाग की और चला गया जहॉ रिहाना और अशफाक बैठे थे और हाथापाई में उनकी हत्या कर दी।

गुल हैदर के पास सोचने का पुरा समय था।

के. एम. नानावटी बनाम महाराष्ट्र राज्य

(ए. आई. आर. 1962 605)

सर्वोच्च न्यायालय ने इस वाद में प्रकोपन को गंभरी एवं अचानक नहीं माना और नानावटी को उम्रकैद की सजा सुनाई।

प्रार्थना / निवेदन

सभी तर्कों, तथ्यों प्रातिधिकारों और कारणों के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त पक्ष माननीय न्यायाधीनता के समक्ष यह निवेदन करता है कि :–

1. अखलाख –उल–रज्जाक को कबीर का संरक्षक नियुक्त किया जाए।

2. खदिजा और कुबेर की हत्या को बढावा देने के इल्जाम से मुक्त करें।

3. गुल हैदर ने गभीर एवं अचानक प्रकोपन का लाभ गुलहैदर को मिले और उसको हत्या के दोष से मुक्त करें।

4. खदीजा और कुबेर को संदेह का लाभ देते हुए अपराध से बरी करें।

न्यायालय से अनुरोध है कि न्याय, सद्धसिद्धवेक एवं निष्पक्षता से न्यायसंगत निर्णय देने की कृपा करे।

यह सभी सविनय अभिवादन के साथ न्यायालय के समक्ष निवेदित है।

स्थान : आर्यगढ

दिनांकः

अभियुक्त पक्ष की ओर से